Vice Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./उ.रा.नि./द्वि/2017 दिनांक: 25 जुलाई, 2017

सेवा में,

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और
महासचिव, राज्य सभा,
संसद भवन, नई दिल्ली।

विषय: उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-वास्तविक मतदान के दौरान मतदाता की पहचान।

महोदय,

आयोग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में संसद सदस्य मतदान दिवस पर निर्वाचकों के रूप में संसद भवन में अपना मत डालेगे।

1. यद्यपि पीठासीन अधिकारी अधिकांश मामलों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों के साथ वार्तालाप एवं संबद्धता होने की वजह से उन्हें जानने और निर्वाचकों को व्यक्तिगत तौर से पहचानने की स्थिति में हो सकते हैं, तब भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हाल ही में निर्वाचित होने की वजह से कुछ सदस्यों को मतदान कर्मचारी व्यक्तिगत रुप से न भी पहचानते हों, इसलिए मतदान के समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए एक उचित व्यवस्था की आवश्यकता है।

2. पीठासीन अधिकारी मत पत्र जारी करने से पहले निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं की संतुष्टि करेंगे। निर्वाचक की पहचान करने की संपूर्ण प्रक्रिया उचित सावधानी और सचेतना के साथ की जाएगी। पहचान सबूत प्रस्तुत करने की इस सत्यापन प्रक्रिया का सहारा केवल वहां लिए जाने की आवश्यकता होती है जहां पीठासीन अधिकारी इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। इसलिए निर्वाचकों को पीठासीन अधिकारी के मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए अपना पहचान सबूत अर्थात संसद

सचिवालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र या ''निर्वाचन प्रमाण पत्र''की मूल प्रति (नए निर्वाचित सदस्यों के मामले में) साथ में रखने की सलाह दी जा सकती है।

3. रिटर्निंग अधिकारी इसे सभी अभ्यर्थियों और निर्वाचकों के ध्यान में लाने के लिए सभी अनिवार्य उपाय तत्काल करेंगे।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव